(54)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 145–पांच/91 विरूद्ध आदेश दिनांक 2–8–91 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 271/88–89/अपील.

---

हरीसिंह पुत्र किशनसिंह (मृत) द्वारा वारिसान
सुरेन्द्र सिंह पुत्र हरीसिंह
निवासी ग्राम माचलपुर
तहसील जीरापुर जिला राजगढ .....आवेदक

**विरूद्ध**

1– यशवंत सिंह पुत्र भेरूसिंह (मृत) वारिसान
(1) शिवसिंह पिता यशवंत सिंह
(2) प्रकाश पिता यशवंत सिंह
निवासीगण ग्राम माचलपुरा बड़ारावला
तहसील माचलपुर जिला राजगढ
2– करणसिंह सिंह पुत्र भेरूसिंह (मृत) वारिसान
(1) दशरथ सिंह पुत्र करणसिंह
(2) चन्द्रसिंह पुत्र करणसिंह
(3) गिरवरसिंह पुत्र करणसिंह
निवासीगण ग्राम माचलपुर
तहसील जीरापुर जिला राजगढ़
3– इन्द्रसिंह पुत्र भेरूसिंह (मृत) वारिसान
(1) परमानन्द सिंह पिता इन्द्रसिंह
(2) राजू पिता इन्द्रसिंह
निवासीगण ग्राम माचलपुर
तहसील जीरापुर जिला राजगढ़
4– त्रिभुवनसिंह पिता भेरूसिंह (मृत) वारिसान
(1) नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. त्रिभुवनसिंह
(2) वीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. त्रिभुवनसिंह
(3) योगेन्द्र सिंह पुत्र स्व. त्रिभुवनसिंह
निवासीगण ग्राम माचलपुर
तहसील जीरापुर जिला राजगढ़
4-- सरदार सिंह पुत्र भेरूसिंह
निवासी ग्राम माचलपुर
तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ .....अनावेदकगण

---

श्री एस0के0 बाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस.के. अवस्थी, अभिभाषक अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/4/12 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–8–91 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक के पिता स्व. हरीसिंह द्वारा तहसील न्यायालय, जीरापुर के समक्ष संहिता की धारा 190 एवं 110 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम माचलपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 194, 228, 229, 230, 934, 935 एवं 234 कुल रकबा 4.492 हेक्टेयर अनावेदकगण के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है । प्रश्नाधीन भूमि अनावेदकगण के पिता से हरीसिंह के पिता द्वारा कास्त करने हेतु प्राप्त की गई थी, और 30 वर्षों से उनका कब्जा चला आ रहा है, जिस कारण उन्हें प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो गया है, अतः उसका नामांतरण किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 30–9–86 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक के पिता हरीसिंह का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, खिचलीपुर–जीरापुर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–6–89 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः जांच हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 2–8–91 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क के दौरान निगरानी मेमों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के पूर्वजों द्वारा कृषि कार्य करने हेतु प्राप्त की थी, तब से आवेदक पक्ष निरंतर कृषि कार्य करता चला आ रहा है । आवेदक की उम्र 70 वर्ष हो चुकी है, और उसके पिता द्वारा भूमि प्राप्त की गई थी, इसलिए अनुबंध के साक्षी होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । ऐसी स्थिति में प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का कोई औचित्य नहीं है ।

(2) आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में साक्ष्य से प्रश्नाधीन भूमि उसके आधिपत्य में होना सिद्ध किया गया है, इसलिए प्रश्नाधीन भूमि पर उसे स्वत्व प्राप्त हो गया है ।

(3) अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष विधि विपरीत है कि राजस्व न्यायालयों को विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व प्रदान करने का अधिकार नहीं है, जबकि संहिता की धारा 109 एवं 110 में स्वत्व प्रदान करने संबंधी कोई विभेद नहीं है ।

4/ अनावेदक पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उनके पूर्वजों द्वारा प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के पूर्वजों को कभी भी पट्टे पर नहीं दी गई है । यह भी कहा गया कि यदि प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जाना है, अतः आवेदक को तहसील न्यायालय में सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा संहिता की धारा 190 व 110 के अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमियों पर मौरूसी कृषक के आधार पर भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये जाने सम्बन्धी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही कर आदेश पारित करते हुए आवेदक के पक्ष में भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये हैं । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में तो पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, परन्तु उनके द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में अवैधानिकता की गई है, क्योंकि आवेदक द्वारा संहिता की धारा 185 सहपठित धारा 190 व 110 के अन्तर्गत मौरूसी कृषक के आधार पर भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करने सम्बन्धी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, इसलिए उक्त आवेदन पत्र को सिद्ध करने का भार आवेदक पर था, इसमें अनावेदकगण के साक्ष्य कोई मायने नहीं रखते हैं । चूंकि आवेदक

द्वारा अपने आवेदन पत्र को प्रमाणित नहीं किया गया है, अतः आवेदक की त्रुटि को दूर करने के उद्देश्य से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में विधि एवं न्याय की गम्भीर भूल की गई है, इसलिए इस सीमा तकम अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिए अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–8–91 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर